प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर)

दांडिक अपील क्रमांक 319/1997

अपीलार्थी सुशील कुमार अग्रवाल

विरुद्ध

प्रत्यर्थी मध्यप्रदेश राज्य

अपीलार्थी की ओर से – श्रीमती रक्षा अवस्थी, अधिवक्ता।

राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से – श्री वैभव गोवर्धन, पैनल अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अंतर्गत दांडिक अपील

निर्णय

(16.08.2012)

यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 152/1997 में दिनांक 18.01.1997 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अंतर्गत दोषसिद्ध कर दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा 2000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया, तथा अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया गया।

2. वर्तमान अपीलार्थी मृतका पुष्पा बाई का पति है तथा उनका विवाह वर्ष 1980 में संपन्न हुआ था। दिनांक 03.09.1986 को लगभग 50% जलने की चोटें आने के पश्चात मृतका को बेलगहना चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ से उसे जिला चिकित्सालय और तत्पश्चात सेक्टर-9 चिकित्सालय, भिलाई रेफर किया गया। दिनांक 03.09.1986 को ही

अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा थाना बेलगहना में मृतका के जलने संबंधी शिकायत (प्र.पी.-6) दर्ज कराई गई। दिनांक 04.09.1986 को नायब तहसीलदार आर.एन. सिंह (अ.सा.-13) द्वारा मृतका का मुत्युकालिक कथन (प्र.पी.-12) दर्ज किया गया तथा दिनांक 07.09.1986 को उसकी मृत्यु हो गई। दिनांक 08.09.1986 को मृतका के पिता श्याम सुंदर अग्रवाल (अ.सा.-20) द्वारा लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई तथा दिनांक 13.09.1986 को बेलगहना पुलिस चौकी में एक बिना नंबर की रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना के उपरांत दिनांक 14.09.1986 को अभियुक्त/अपीलार्थी, उसकी माता तथा दो भाइयों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306 एवं 498-क के अंतर्गत प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-10) पंजीबद्ध की गई। दिनांक 07.09.1986 को डॉ. एस.एस. ढिल्लन (अ.सा.-18) द्वारा मृतका का शव परीक्षण (प्र.पी.-14) किया गया, जिनके अनुसार मृत्यु का कारण सतही जलन के कारण उत्पन्न शॉक एवं सेप्सिस था। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात दिनांक 12.06.1987 को अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 306 एवं 498-क भा.दं.सं. के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियोजन ने अपने प्रकरण के समर्थन में कुल 22 साक्षियों का परीक्षण कराया। अभियुक्तगण के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत भी अभिलिखित किए गए, जिनमें उन्होंने अपने विरुद्ध विरचित आरोपों से इनकार किया तथा स्वयं को निर्दोष बताते हुए प्रकरण में झूठा फँसाए जाने का अभिवाक किया।

4. पक्षकारों को सुनने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय ने अन्य सह-अभियुक्तों को उनके विरुद्ध अधिरोपित समस्त आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। साथ ही, अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के आरोप से भी दोषमुक्त कर दिया, किंतु उसे भा.दं.सं. की धारा 498-क के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए इस निर्णय के कंडिका क्रमांक 1 में वर्णित दंड से दंडित किया।

5. अभियुक्त/अपीलार्थी के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि मृतका के मुत्युकालिक कथन में उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि चाय बनाते समय वह जल गई थी तथा वह

अपने जीवन में प्रसन्न थी और अभियुक्त/अपीलार्थी या किसी अन्य द्वारा उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि मृतका की मृत्यु के पश्चात उसके पिता, माता, भाई, बहन एवं चाचा द्वारा झूठे आरोप लगाये गए हैं और ऐसे आरोपों के आधार पर अभियुक्त/अपीलार्थी को भा.दं.सं. की धारा 498-क के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि पत्र क्रमांक प्र.पी.-19 में क्रूरता का आरोप अवश्य किया गया है, किंतु उससे यह स्पष्ट नहीं होता कि वह आरोप किसके विरुद्ध है। आगे यह प्रतिपादित किया गया कि इक्के-दुक्के घटनाओं के आधार पर अभियुक्त/अपीलार्थी को भा.दं.सं. की धारा 498-क के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। यह भी तर्क दिया गया कि समान साक्ष्य के आधार पर अन्य सह-अभियुक्तों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है, अतः वर्तमान अपीलार्थी को भी समान लाभ मिलना चाहिए। अपने तर्क के समर्थन में अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **गिरधर शंकर तावड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 2002 एससी 2078**, का अवलंब लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष विधि के अनुरूप हैं तथा उनमें किसी प्रकार की अवैधता या त्रुटि नहीं है। उनका कथन है कि मृतका के पिता, माता, भाई, बहन एवं चाचा ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा मृतका के साथ किस प्रकार क्रूरता की गई, जबकि जिन अन्य सह-अभियुक्तों को दोषमुक्त किया गया है, उनके विरुद्ध आरोप इतने विशिष्ट नहीं थे।

7. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख पर तात्विक सामग्री का परिशीलन किया गया।

8. रमेश कुमार (अ.सा.-11), जो मृतका का भाई है, ने अपने कथन में कहा कि मृतका का विवाह वर्ष 1980 में अभियुक्त/अपीलार्थी के साथ संपन्न हुआ था तथा जब भी वह मायके आती थी, तो बताती थी कि छोटी-छोटी बातों पर उसके साथ मारपीट की जाती

है। मृत्यु से लगभग 6–7 माह पूर्व उसे मृतका के पड़ोसी से फोन द्वारा सूचना मिली कि उसकी स्थिति गंभीर है। जब वह उसे देखने गया तो उसके शरीर, विशेषकर सिर पर, अनेक चोटें पाईं। मृतका ने उसे बताया कि उसकी बेरहमी से पिटाई की गई थी तथा दहेज की मांग को लेकर अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा मारपीट की जाती थी। उसने यह भी कहा कि मृत्यु से लगभग एक वर्ष पूर्व जब वह अभियुक्त/अपीलार्थी के घर गया था, तब अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसकी बहन से धन की मांग करते हुए मारपीट की थी। घटना के दिन जब उसे जलने की सूचना मिली, तब उसकी माता, भाई और पिता बिलासपुर गए, जहाँ ज्ञात हुआ कि मृतका लगभग 45% तक जल चुकी है। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए एम्बुलेंस की व्यवस्था कर उसे भिलाई ले जाया गया, जहाँ बाद में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु समीक्षा उसकी उपस्थिति में हुआ, किंतु उससे कोई पूछताछ नहीं की गई। उसने कहा कि मृत्यु समीक्षा के समय उसने पुलिस को क्रूरता की बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि उससे यह तथ्य पूछा ही नहीं गया था। उसके अनुसार विवाह के लगभग एक वर्ष बाद से ही मृतका को ससुराल में प्रताड़ित किया जाने लगा था। जब वह मायके आती थी, तो दहेज की मांग को लेकर हो रही क्रूरता और उत्पीड़न की जानकारी देती थी। एक बार सिर पर गंभीर चोट लगने पर उसे उपचार हेतु कोरबा लाया गया था। उसने यह भी कहा कि उसकी उपस्थिति में अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा मारपीट की गई, जिससे बाहरी चोट तो नहीं आई, परंतु आंतरिक चोट अवश्य लगी। हरि शंकर तुलसियान (अ.सा.-12), जो मृतका के चाचा हैं, ने कहा कि अभियुक्त/अपीलार्थी और मृतका के बीच विवाद होता रहता था। अभियुक्त/अपीलार्थी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और वह अपने ससुर से आर्थिक सहायता चाहता था। उन्हें अकलतरा बुलाया गया था ताकि दोनों के बीच विवाद सुलझाया जा सके। वहाँ उन्होंने मृतका के माता-पिता के साथ जाकर अभियुक्त/अपीलार्थी को समझाया कि वह मृतका के साथ मारपीट न करे। उन्होंने मृतका के चरित्र को लेकर किसी शिकायत के संबंध में भी अभियुक्त/अपीलार्थी से पूछा, किंतु समझाने के बावजूद उसने मृतका के प्रति अपशब्द

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कहे। बाद में जब उन्हें मृतका की गंभीर स्थिति की सूचना मिली और वे चिकित्सालय पहुँचे, तो मृतका ने बताया कि अभियुक्तगण द्वारा मारपीट के कारण उसकी यह स्थिति हुई है। गीता देवी (अ.सा.-14), मृतका की माता, ने कहा कि मृत्यु से लगभग एक सप्ताह पूर्व मृतका राखी के अवसर पर उनके घर आई थी। घटना के दिन उन्हें अभियुक्त पक्ष के पड़ोसी से सूचना मिली कि मृतका जल गई है। जब वे बिलासपुर पहुँचीं, तो मृतका को जली हुई अवस्था में देखा; वह रो रही थी और उससे कोई बातचीत नहीं हो सकी। मृतका ने उसे कोरबा ले जाने का आग्रह किया क्योंकि ससुराल में उसे प्रताड़ित किया जाता था तथा पुनः ससुराल न भेजने का निवेदन किया। पूछताछ करने पर मृतका ने बताया कि वह उदास रहती थी और एक बार उसने अपने ऊपर केरोसिन डाल लिया था, जिस पर उसकी सास ने ताना मारते हुए कहा कि यदि जलना है तो जल जाओ। इस कथन से आहत होकर उसने स्वयं को आग लगा ली। उन्होंने आगे कहा कि जब भी मृतका मायके आती थी, वह ससुराल में हो रही प्रताड़ना की बात बताती थी। एक बार उसके सिर पर चोट भी पहुँचाई गई थी। मृतका ने बर्तन की दुकान खोलने हेतु 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता की मांग भी की थी। एक अवसर पर उसके देवर द्वारा भी मारपीट की गई थी। उनके अनुसार विवाह के लगभग एक वर्ष बाद से मृतका को प्रताड़ित किया जाने लगा था। किरण अग्रवाल (अ.सा.-15), मृतका की बहन, ने कहा कि बिलासपुर चिकित्सालय में उसने मृतका को जली हुई अवस्था में देखा, परंतु उससे बातचीत नहीं हुई। उसने बताया कि जब भी मृतका मायके आती थी, वह छोटी-छोटी बातों पर ससुराल में होने वाली प्रताड़ना एवं अभियुक्त/अपीलार्थी तथा उसके भाई द्वारा मारपीट की शिकायत करती थी। श्याम सुंदर (अ.सा.-20), मृतका के पिता, ने कहा कि विवाह के लगभग 1–2 वर्ष तक मृतका ससुराल में सुखपूर्वक रही, परंतु उसके बाद अभियुक्त/अपीलार्थी, उसके भाई एवं माता द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। वर्ष 1986 में उन्हें मृतका का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उसने लिखा था कि वह प्रताड़ित हो रही है और यदि वे उससे मिलने नहीं आए तो वह पागल हो जाएगी। बाद में उन्हें

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पड़ोसी से फोन पर सूचना मिली कि मृतका असामान्य व्यवहार कर रही है। जब वे चिकित्सालय पहुँचे, तो मृतका की स्थिति गंभीर थी। मृतका ने अपनी माता को बताया कि भोजन ठीक से न बना पाने के कारण उसे जलती लकड़ी से पीटा गया तथा अभियुक्त/अपीलार्थी दुकान खोलने हेतु धन की मांग करता था। उसने यह भी कहा कि धन की मांग को लेकर उसे मारा-पीटा गया। साक्षी के अनुसार उन्होंने शिकायत प्र.पी.-17 दर्ज कराई तथा पुलिस ने उनके पास से तीन पत्र (प्र.पी.-18 से **P**-20) जब्त किए। उन्होंने यह भी कहा कि मानसिक रूप से व्यथित होने के कारण वे तत्काल शिकायत दर्ज नहीं करा सके। प्रतिपरीक्षण में भी उन्होंने दोहराया कि मृतका को ससुराल में क्रूरता का सामना करना पड़ा।

डॉ. राजीव रत्न तिवारी (अ.सा.-1) वह साक्षी हैं जिन्होंने पुलिस को मृतका का मुत्युकालिक कथन दर्ज करने हेतु सूचित करते हुए मेमो (प्र.पी.-1) जारी किया था। सत्येन्द्र कुमार मिश्रा (अ.सा.-2) वह साक्षी हैं जिन्होंने दूरभाष कॉल संबंधी अभिलेख प्रमाणित किए। डी.डी. शुक्ला (अ.सा.-3) उपनिरीक्षक हैं, जिन्होंने विवेचना में सहयोग किया। डॉ. कु. एस. राव (अ.सा.-4) सहायक शल्य चिकित्सक हैं, जिन्होंने बिलासपुर में मृतका का चिकित्सीय परीक्षण किया तथा उसके शरीर पर अनेक चोटें पाई। कन्हैयालाल (अ.सा.-5), खेखतराम (अ.सा.-6), यशवंत प्रताप सिंह (अ.सा.-7) एवं राम नारायण (अ.सा.-8) वे साक्षी हैं जिन्होंने विवेचना करने में सहयोग किया। नंदराम तंबोली (अ.सा.-9), पटवारी, ने घटनास्थल मानचित्र (प्र.पी.-11) तैयार किया। सुलक्षणा शर्मा (अ.सा.-10) ने कहा कि जब भी मृतका मायके आती थी, वह उससे मिलती थी और मृतका बताती थी कि दहेज लाने के लिए ससुराल में उसके साथ क्रूरता एवं मारपीट की जाती थी। आर.एन. सिंह (अ.सा.-13), नायब तहसीलदार, वह साक्षी हैं जिन्होंने मृतका का मुत्युकालिक कथन (प्र.पी.-12) अभिलिखित किया। उन्होंने कहा कि मुत्युकालिक कथन दर्ज करने से पूर्व उन्होंने चिकित्सक से मृतका की स्थिति के संबंध में प्रमाणपत्र प्राप्त किया था। मुत्युकालिक कथन में मृतका ने बताया कि चाय बनाते समय वह जल

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

गई थी। उसने यह भी बताया कि घटना के समय उसकी सास, ससुर, देवर एवं नौकरानी उपस्थित थे, किंतु उसका पति उपस्थित नहीं था। उसने यह भी कहा कि कोई विवाद नहीं हुआ था, किसी ने उसे नहीं जलाया था, तथा उसे चिकित्सालय में अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा भर्ती कराया गया था। हरीशचंद बोंडिया (अ.सा.-16), जो मृतका के पिता श्याम सुंदर (अ.सा.-20) के पड़ोसी हैं, ने कहा कि एक बार वह अन्य लोगों के साथ अभियुक्त/अपीलार्थी के घर गए थे, जहाँ मृतका ने बताया कि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा उसकी मारपीट की जाती है। एम.आर. कलीहारी (अ.सा.-17) वह साक्षी हैं जिन्होंने बिना क्रमांकित शिकायत के आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-10) दर्ज की। डॉ. एस.एस. ढिल्लन (अ.सा.-18) ने मृतका के शव का शव परीक्षण किया और यह अभिमत दिया कि मृत्यु का कारण सतही जलन के कारण उत्पन्न शॉक एवं सेप्सिस था। हरि प्रसाद अग्रवाल (अ.सा.-19) मुत्यु समीक्षा (प्र.पी.-15 एवं **P**-16) के साक्षी हैं। गोपीराम अग्रवाल (अ.सा.-21), जो मृतका के पिता के संबंधी हैं, ने कहा कि सूचना मिलने पर वे श्याम सुंदर (अ.सा.-20) के साथ बिलासपुर जा रहे थे। मार्ग में अभियुक्त/अपीलार्थी मिला, जिसने साथ चलने से इनकार किया, किंतु उन्हें बलपूर्वक साथ ले जाया गया। रामकृष्ण मिश्रा (अ.सा.-22) भी मुत्यु समीक्षा (प्र.पी.-15) के साक्षी हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. साक्षियों के कथनों, विशेषकर रमेश कुमार (अ.सा.-11), तुलसियान (अ.सा.-12), गीता देवी (अ.सा.-14), किरण अग्रवाल (अ.सा.-15) तथा श्याम सुंदर (अ.सा.-20) के साक्ष्य के सूक्ष्म परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि मृतका को अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा क्रूरता का शिकार बनाया गया। इन साक्षियों के कथनों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। यद्यपि कुछ स्थानों पर साक्षियों ने अपने कथनों में अतिशयोक्ति की है, तथापि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रत्यक्ष है कि मृतका को अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। यह साक्ष्य भी उपलब्ध है कि धन की मांग को लेकर अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा मृतका की पिटाई की गई थी। अभियुक्त/अपीलार्थी के अधिवक्ता

द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस निर्णय का आश्रय लिया गया है, वह वर्तमान प्रकरण में सहायक नहीं है, क्योंकि उस प्रकरण के तथ्य एवं वर्तमान मामले के तथ्य पूर्णतः भिन्न हैं। वर्तमान मामले में पत्र प्र.पी.-18, प्र.पी.-19 एवं प्र.पी.-20 के अतिरिक्त साक्षियों ने भी स्पष्ट रूप से बताया है कि मृतका को किस प्रकार क्रूरता का सामना करना पड़ा। अधीनस्थ न्यायालय ने मुत्युकालिक कथन के आधार पर अभियुक्त/अपीलार्थी को धारा 306 भा.दं.सं. के आरोप से दोषमुक्त कर दिया है, किंतु उसके विरुद्ध अधिरोपित गए आरोपों एवं साक्षियों के कथनों को दृष्टिगत रखते हुए उसे भा.दं.सं. की धारा 498-क के अंतर्गत दोषसिद्ध किया है, जो इस न्यायालय के विचार में न्यायोचित एवं उपयुक्त है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भा.दं.सं. की धारा 498-क के अंतर्गत अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषसिद्धि संबंधी निष्कर्ष साक्ष्यों के अनुरूप हैं तथा इस अपील में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. तथापि, यह ध्यान में रखते हुए कि घटना वर्ष 1986 की है, वर्तमान में अभियुक्त/अपीलार्थी की आयु लगभग 55 वर्ष हो चुकी होगी तथा वह लगभग पाँच माह का कारावास भुगत चुका है, इस न्यायालय का यह विचार है कि न्यायहित में उस पर अधिरोपित दो वर्ष के सश्रम कारावास के स्थान पर दंड को घटाकर एक वर्ष का सश्रम कारावास किया जाना उपयुक्त होगा।

11. आदेश तदनुसार पारित किया जाता है।

12. परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अंतर्गत की गई दोषसिद्धि यथावत रखी जाती है। तथापि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिरोपित दो वर्ष के सश्रम कारावास के स्थान पर दंड को घटाकर एक वर्ष का सश्रम कारावास किया जाता है।

13. चूँकि अभियुक्त/अपीलार्थी जमानत पर है, अतः उसे तत्काल अभिरक्षा में लेकर शेष दंड अवधि भुगतने हेतु जेल में निरुद्ध किया जाए।

सही/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ..... Vijay Kumar Sahu, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur